

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 306/2024

अनवान : -

1. आईदान हुडा पुत्र इन्द्राज सिंह जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्त0 अधि0 1955


उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज


निर्णय

दिनांक: 07/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 170/157 की कुल 15.4330 हैक्ट भूमि में से 1/40 हिस्सा व खाता संख्या 10/14 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा, खाता संख्या 10/14 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा, खाता संख्या 99/80 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा 7 बरानी तहसील नोहर के खाता संख्या 278/245 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 26/26 की कुल 7.3880 हैक्ट भूमि में से 1/40 हिस्सा व रोही मौजा 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 179/178 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 9/9 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से 2/3 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता संख्या 14/14 की कुल 1.6030 हैक्ट भूमि में से 253/1603 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 10/10 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम आईदान पुत्र इन्द्राज दर्ज है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम आईदान हुडा पुत्र इन्द्राज सिंह है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान-पत्र, पैनकार्ड कार्ड आदि में दर्ज है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना सही नाम आईदान हुडा पुत्र इन्द्राज सिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो  शामिल मिसल किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी का सही नाम आईदान हुडा पुत्र इन्द्राज सिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड में आईदान पुत्र इन्द्राज गलत दर्ज हो गया है। उक्त वादी भूमि में नाम गलत दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग-उपभोग से वंचित है। वादी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान-पत्र,, पैनकार्ड आदि में वादी का नाम आईदान हुडा पुत्र इन्द्राज सिंह है। अतः मुताबिक वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी का सही नाम आईदान हुडा पुत्र इन्द्राज सिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।


हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 170/157 की कुल 15.4330 हैक्ट भूमि में से 1/40 हिस्सा व खाता संख्या 10/14 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा, खाता संख्या 10/14 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा, खाता संख्या 99/80 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा 7 बाराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 278/245 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 26/26 की कुल 7.3880 हैक्ट भूमि में से 1/40 हिस्सा व रोही मौजा 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 179/178 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 9/9 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से 2/3 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता संख्या 14/14 की कुल 1.6030 हैक्ट भूमि में से 253/1603 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 10/10 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में वादी अपना नाम आईदान पुत्र इन्द्राज के स्थान पर आईदान हुडा पुत्र इन्द्राज सिंह दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, पैनकार्ड कार्ड आदि में वादी का नाम आईदान हुडा पुत्र इन्द्राज सिंह अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 170/157 की कुल 15.4330 हैक्ट भूमि में से 1/40 हिस्सा व खाता संख्या 10/14 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा, खाता संख्या 99/80 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा 7 बाराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 278/245 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 26/26 की कुल 7.3880 हैक्ट भूमि में से 1/40 हिस्सा व रोही मौजा 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 179/178 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 9/9 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से 2/3 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता संख्या 14/14 की कुल 1.6030 हैक्ट भूमि में से 253/1603 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 10/10 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम आईदान पुत्र इन्द्राज के स्थान पर आईदान हुडा पुत्र इन्द्राज सिंह

पुत्र इन्द्राज अधिकारी
नोहर

के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच आईदान पुत्र इन्द्राज के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का आईदान पुत्र इन्द्राज के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम आईदान पुत्र इन्द्राज ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/06/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 306/2024

अनवान : -

1. आईदान हुडा पुत्र इन्द्राज सिंह जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।


- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 306 सन 2024 निर्णय दिनांक - 07/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 170/157 की कुल 15.4330 हैक्ट भूमि में से 1/40 हिस्सा व खाता संख्या 10/14 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा, खाता संख्या 99/80 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा 7 बरानी तहसील नोहर के खाता संख्या 278/245 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 26/26 की कुल 7.3880 हैक्ट भूमि में से 1/40 हिस्सा व रोही मौजा 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 179/178 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 9/9 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से 2/3 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता संख्या 14/14 की कुल 1.6030 हैक्ट भूमि में से 253/1603 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 10/10 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम आईदान पुत्र इन्द्राज के स्थान पर आईदान हुडा पुत्र इन्द्राज सिंह के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच आईदान पुत्र इन्द्राज के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का आईदान पुत्र इन्द्राज के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम आईदान पुत्र इन्द्राज ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक...07/06/24...को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर